

भाग-2

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना/स्कीम का स्थान	-	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा महोबा-चरखारी रोड़ (एम०डी०आर०-15बी) के किमी० संख्या-15 (चैनेज संख्या-14.480 से 14.520) के मध्य बांयी पटरी पर खसरा संख्या-568 व 577 ग्राम-जार्डनगंज, तहसील-चरखारी, जिला-महोबा उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना।
(1)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	उत्तर प्रदेश
(2)	जिला	-	महोबा
(3)	वन प्रभाग	-	महोबा वन प्रभाग, महोबा।
(4)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	-	कुल 0.1972 हे०
(5)	वन की कानूनी स्थिति	-	संरक्षित वन
(6)	हरियाली का घनत्व	-	0.1
(7)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जायें सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एस०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मी० भी संलग्न किये जायें।	-	-
(8)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	-	क्षेत्र भू-संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(9)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	-	लगभग 2.00 किमी०
(10)	क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल रिजर्व बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है।	-	नहीं
	(यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)		
(11)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	-	नहीं
(12)	क्यों कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा संक्षेप प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	-	नहीं
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	-	न्यूनतम है।
9-	क्या किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे है।	-	नहीं।

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा -
- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार। - संलग्न है।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाया मैप। - संलग्न है।
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। - प्रतिपूरक वनीकरण के समय शीशम, चिलबिल, नीम, आवंला, अरू, सिरस, कंजी, बांस आदि प्रजातियों का रोपण विभाग द्वारा किया जावेगा।
- (4) प्रतिपूरक स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - संलग्न है।
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें।) - संलग्न है।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 11, 12, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - संलग्न है।
- 12- विभाग/जिला प्रोफाइल
- (1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 2884 वर्ग किमी0
- (2) जिले का वन क्षेत्र - 16587.081 हे0
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र - मामले 16 वन क्षेत्र 97.557822 हे0
- (4) 1980 से जिला/विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि - 190.03 हे0
- ख- वनेत्तर भूमि पर - X
- (5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति -
- क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि - 19.00 हे0
- ख- वनेत्तर भूमि पर - 24.742 हे0
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस - प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृति करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक

स्थान- महोबा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग-महोबा

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर


प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा-वनप्रभाग
महोबा